संख्या- 64 /2019 / 371 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2019**

विषय:- राजकीय संग्रहालय मथुरा में सोलर पावर प्लांट प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 54 /2019 /371 /चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 54/2019 /371/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ का अंकन त्रुटिवश छूट गया है। अत: पृष्ठांकन में 'मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ' पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या- 54/2019 /371/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या - 64 /2019 / 371 /चार-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. उपनिदेशक , राजकीय संग्रहालय , मथुरा
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, मथुरा /आगरा
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 कानपुर ।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक , उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 आगरा ।
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-7 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग 4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।